कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–1/अंग्रेजी/डीपीसी/पदस्थापन/2020–21 दिनांक 09.03.2021 द्वारा शिवजी लाल मीणा व0अ0 राउमावि कोटखावदा, जयपुर को डीपीसी वर्ष 2020–21 में व्याख्याता स्कूल शिक्षा अंग्रेजी के पद पर चयनोपरान्त काउंसलिंग द्वारा राउमावि कठमाना, टोंक में पदौन्नति पर पदस्थापित किया गया। जहां इनके द्वारा कार्यग्रहण कर लिया गया है।

उक्त पदस्थापन के विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय सिविल सेवा अपील अधिकारण में अपील संख्या 1115/2021 शिवजी लाल मीणा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

माननीय अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 17.03.2021 में अपीलार्थी को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने के निर्देश प्रदान किये है।

माननीय अधिकारण के निर्णय की पालना में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वंय के मुंह के कैंसर, पत्नि के चाकसू, जयपुर में अध्यापिका पद पर कार्यरत होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि टूंटोली, जयपुर अथवा राउमावि चाकसू, जयपुर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय अधिकरण की पालना में अद्योहस्ताक्षकर्ता द्वारा अपीलार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया। अपील निर्णय में प्रार्थी का कथन है कि "अपीलार्थी का स्थानान्तरण राउमावि कोटखावदा, जयपुर से राउमावि कठमाना, टोंक किया गया," जो कि गलत है। अपीलार्थी का व0अ0 पद से व्याख्याता पद पर पदौन्नति से चयनोपरान्त व्याख्याता पद पर पदस्थापन किया गया है न कि स्थानान्तरण। अपीलार्थी द्वारा माननीय अपील अधिकरण के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये है।

यह भी पाया गया कि पदस्थापन हेतु आयोजित काउंसलिंग कैम्प बाबत जारी वरियता सूची में अपीलार्थी को असाध्य रोगी वर्ग की वरियता का लाभ दिया जा चुका है एवं काउंसलिंग कैम्प में य अनुपस्थित थे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कैम्प में दर्शाई गई निर्धारित रिक्तियों में से उपलब्ध शेष रिक्त पदों में से विद्यालय में छात्र हित एवं क्षेत्र हित में व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर पदस्थापन किया गया। जहां पर इनके द्वारा कार्यग्रहण कर लिया गया है।

अतः यह भी पाया गया कि व्याख्याता पद राज्य स्तर की सेवा का पद है। जिससे छात्र हित एवं क्षेत्र हित को ध्यान में रखते हुए राज्य के किसी भी क्षेत्र में पदस्थापित किया जा सकता है।

इसके आधार पर अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारित किया जाता है।

सभी पक्षकार सूचित होवें।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी–1/अपील सं. 1115/शिवजी लाल मीणा/2021 दिनांक: 25 03 22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत्

1. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. प्रभारी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
3. अति0 जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
4. प्रधानाचार्य, राउमावि कठमाना, टोंक
5. श्री शिवजी लाल मीणा व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि कठमाना, टोंक
6. अनुभाग अधिकारी (विधि) कार्यालय हाजा को उनकी अ0टि0 क्रमांक शिविरा–मा/विधि/बी–3/29947/डी/21 दिनांक 02.11.2021 के क्रम में।
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
25/3/22